# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:—127/2019 दायर दिनांक:—26.07.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00224

आम मुस्लिम समाज सूरौठ, तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली जरिये—

1. मंगती आयु 65 साल पुत्र नत्थी
2. तैयब हुसैन आयु 42 साल पुत्र तोफी हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

जाति—मुसलमान
निवासी—सूरौठ तहसील हिण्डौन

——————प्रार्थीगण

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन सिटी हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

—————अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितः— 1. श्री सीताराम गुर्जर वकील प्रार्थीगण
2. श्री पेरोकार सरकार अप्रार्थी

## निर्णय दिनांक 22-11-24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी हाल तहसील सूरौठ के मूल/स्थाई निवासी हैं एवं वक्फ समिति/मस्जिद के इन्चार्ज हैं। प्रार्थीगण का हित आम मुस्लिम समाज ग्राम सूरौठ, तहसील हिण्डौनसिटी हाल तहसील सूरौठ में निहित है।

साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकवा 0.11 एयर बना है, ग्राम सूरौठ पटवार हल्का सूरौठ तहसील हिण्डौनसिटी हाल तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों की भूल से साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकवा 0.11 एयर बना है कि किस्म कब्रस्थान के स्थान पर देवस्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता रहा है, जबकि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही मुस्लिम समाज सूरौठ के कब्रस्थान के काम में चली आ रही है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि/भूल से उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में देवस्थान—कब्रस्थान दर्ज कर दिये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

कारण मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि की किस्म देवस्थान–कब्रस्थान दर्ज है, जो काबिल दुरूस्ती है। उक्त भूमि पर किसी भी देवी–देवता का स्थान बना हुआ नहीं है और ना ही भूमि देवस्थान के काम आ रही है। उक्त भूमि का समस्त रकबा प्रारम्भ से लेकर आज तक मुस्लिम समाज के कब्रस्थान के काम आ रही है।

सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटिलमेंट उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकबा 0.11 एयर बना है, की नवीन अक्सशीट (ट्रेस) में भूमि की लम्बाई कम दर्शाकर चौडाई अधिक दर्शा दी गयी है, जबकि मौके पर भूमि की लम्बाई अधिक व चौडाई में मुताबिक नवीन शीट कम है। साबिक शीट के मुताबिक ही नवीन शीट ट्रेस तरमीम (बनाया जाना) किया जाना आवश्यकीय एवं न्यायसंगत है एवं उक्त प्रकार से ही शीट को दुरस्त किया जाना आवश्यकीय है। उक्त प्रकार की दुरूस्ती हेतु वादीगण ने श्रीमान तहसीलदार जी हिण्डौन हाल सूरौठ से दिनांक 17.05.2019 को निवेदन किया तो उन्हौनें न्यायालय श्रीमान में दावा दायर करने के लिए कहा है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यकीय हुआ है।

अप्रार्थी को आदेश प्रदान किया जावे कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकवा 0.11 एयर बना है, स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भूमि की किस्म देवस्थान के स्थान पर कब्रस्थान दर्ज फरमाया जावे।

भूमि साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकवा 0.11 एयर बना है, स्थित ग्राम सूरौठ की साबिक ट्रेस के मुताबिक ही नवीन ट्रेस तरमीम (बनाई जाने) का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन हाल तहसील स[illegible]ा दिनांक 10.09.2021 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

1. वाद पत्र का मद न0 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
2. वाद पत्र का मद न0 2 राजस्व रिकॉर्ड के हद तक स्वीकार है।
3. वाद पत्र का मद न0 3 राजस्व रिकॉर्ड के हद तक स्वीकार है।

4. वाद पत्र का मद न0 4 राजस्व रिकॉर्ड के हद तक स्वीकार है।
5. वाद पत्र का मद न0 5 राजस्व रिकॉर्ड के हद तक स्वीकार है।
6. वाद पत्र का मद न0 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की धारा 7 कानूनी है।
8. वाद का मद न0 8 में ग्राम सूरौठ के सिवाचयक खेत खसरा न0 2175 रकबा 0.11 है0 किश्म गैर मुमकिन देवस्थान का नाम विलोपित किया जाकर कब्रस्तान दर्ज करने की डिक्री चाही गयी है जबकि इस बावत ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अनुतोष पाने का अधिकारी है।

अन्त में निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ग्राम सूरौठ के सिवाचयक खेत खसरा न0 2175 रकबा 0.11 है0 किश्म गै0मु0 देवस्थान दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूतों एवं बिना किसी कानूनी अधिकार के दावा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः वाद प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम सूरौठ खाता सं0 1 प्रदर्श–1, नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2046–66 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नक्शा ट्रैस प्रदर्श–4, नकल साबिक खसरा नक्शा प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत 2071–74 प्रदर्श–6 पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने दौराने बहस में कहा कि ग्राम सूरौठ के सिवाचयक खेत खसरा न0 2175 रकबा 0.11 है0 किश्म गैर मुमकिन देवस्थान का नाम विलोपित किया जाकर कब्रस्तान दर्ज करने की डिक्री चाही गयी है जबकि इस बाबत ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अनुतोष पाने का अधिकारी है। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जानें का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थी

की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम सूरौठ खाता सं0 1 प्रदर्श–1, नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2046–66 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नक्शा ट्रैस प्रदर्श–4, नकल साबिक खसरा नक्शा प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत 2071–74 प्रदर्श–6 है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि प्रार्थीगण भूमि साबिक खसरा नम्बर 1660 रकबा 7 बिस्वा कि जिसका बाद सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बर 2175 रकबा 0.11 एयर बना है, स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भूमि की किस्म देवस्थान के स्थान पर कब्रस्थान जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे प्रार्थी प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। एवं पैराकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाब में भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में ग्राम सूरौठ के सिवाचयक खेत खसरा न0 2175 रकबा 0.11 है0 किश्म गै0मु0 देवस्थान दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूतों एवं बिना किसी कानूनी अधिकार के दावा प्रस्तुत किया गया है प्रकरण किस्म शुद्धि का है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा न0 2175 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

22/11/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन